इलेक्शन टुडे

==

दिनांक - 30 नवम्बर 2018 अंक – 49

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

मध्यप्रदेश में हुआ 75.05 प्रतिशत मतदान

भोपाल : शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2018। विधानसभा चुनाव-2018 में 75.05 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत की विधानसभावार और जिलेवार विस्तृत जानकारी सीईओ मध्यप्रदेश की वेबसाइट http://www.ceomadhyapradesh.nic.in पर Asembly election 2018 - CONSTITUENCY WISE VOTER TURNOUT REPORT एवं Asembly election 2018 - DISTRICT WISE VOTER TURNOUT REPORT के नाम से PDF File में उपलब्ध है।

===

विधानसभा आम चुनाव -2018

स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था के लिये कलेक्टर एवं एसपी जिम्मेदार

भोपाल : शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही. एल. कान्ता राव ने बताया की प्रदेश में मतदान पूर्ण होने के बाद सभी ईव्हीएम एवं व्ही.व्ही.पैट स्ट्रॉग रूम में जमा की जा चुकी है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक जिलों के स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा तथा प्रोटोकॉल के सावधानी पूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं।

श्री राव ने कहा कि सभी 51 जिलों में स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा 24 घण्टे की जा रही है। इसके साथ ही दूसरा घेरा विशेष सशस्त्र बल द्वारा संपादित किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था

मतगणना पूर्ण होने तक यथावत रहेगी। स्ट्रॉग रूम में डबल लॉक सिस्टम है, जिसकी एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास है। केन्द्रीय पुलिस बल स्ट्रॉग रूम की आंतरिक परिधि सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है तथा राज्य के सशस्त्र पुलिस बल बाहरी परिधि में सुरक्षा के लिए तैनात हैं।

अभ्यर्थियों को स्ट्रांग रूम के सुरक्षा इंतजाम पर गहन नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को तैनात करने के लिए लिखित में सूचना दी गई है। उन्हे आंतरिक परिधि के बाहर रहने की अनुमति दी गई, जहां से वे स्ट्रॉग रूम के प्रवेश द्‌वार को देख सकें, यदि स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्‌वार को सीधे नहीं देखा जा सकता है तो ऐसी अवस्था में सीसीटीवी की व्यवस्था है जिससे वे स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्‌वार की निगरानी स्क्रीन पर देख सकें। स्ट्रॉग रूम के पास नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यशील है। पुलिस अधिकारी के साथ एक राजपत्रित अधिकारी को स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे ड्‌यूटी पर रखा गया है। स्ट्रॉग रूम के अंदर एवं आस-पास अग्निशामकों का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। केन्द्रीय पुलिस बल द्‌वारा लॉगबुक रखी जाती है, जिसमें द्‌वितीय सुरक्षा घेरा अर्थात मध्य परिधि को पार करने वाले व्यक्तियों के नाम, मोबाईल नम्बर, दिनांक, समय, इत्यादि जानकारी की प्रविष्टि की जाती है। जिसमें प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, अभ्यर्थियों, अभिकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति के दौरे भी शामिल होते है।

स्ट्रॉग रूम की परिधि में आने जाने वाले व्यक्तियों के रिकॉर्ड के लिये केन्द्रीय सुरक्षा बल को वीडियो कैमरा उपलब्ध करवाये गये है। स्ट्रॉग रूम में 24 x 7विधुत की उपलब्धता के लिये विधुत जेनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है, ताकि स्ट्रॉग रूम की रिकॉर्डिंग/सुरक्षा प्रभावित न हो।

रिटर्निंग ऑफिसर को स्ट्रॉग रूम के आंतरिक परिधि तक प्रत्येक दिन सुबह एवं शाम को दौरा कर लॉगबुक एवं वीडियोंग्राफी की जांच करने के निर्देश दिये गये है। रिटर्निंग ऑफिसर द्‌वारा प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जा रही है। किसी अधिकारी या किसी अन्य राजनैतिक कार्यकर्ता के वाहन सहित किसी भी वाहन को स्ट्रॉग रूम की परिधि के भीतर आने की अनुमति नहीं है, वाहनों से उतरने का बिन्दु बाहरी सुरक्षा परिधि के आगे चिन्हित किया जाता है इसके बाद केवल पैदल मार्ग होता है।

मतगणना के दिन स्ट्रॉग रूम को अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों, रिटर्निंग ऑफिसर एवं प्रेक्षक की उपस्थिति में वीडियोंग्राफी की निगरानी में खोला जावेगा।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

प्रदेश में 75.05 प्रतिशत मतदान

75.98 प्रतिशत पुरूष और 74.03 प्रतिशत महिलाओं ने मताधिकार का उपयोग किया

सबसे अधिक छिंदवाडा जिलें में 83.92 प्रतिशत और सबसे कम भिण्ड जिलें में 61.49 प्रतिशत मतदान हुआ

भोपाल : शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2018। मध्यप्रदेश की 15 वी विधानसभा के लिये हुये निर्वाचन में 75.05 प्रतिशत मतदान हुआ है प्रदेश में यह अभी तक का सर्वाधिक मतदान है। प्रदेश में 65 हजार 367 मतदान केन्द्रों पर 28 नवम्बर को मतदान हुआ । कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड 4 लाख 33 हजार 79 है जिसमें कुल 3 करोड़ 78 लाख 52 हजार 213 मतदाताओं ने मतदान किया । विधानसभा चुनाव में 1 करोड 99 लाख 86 हजार 978 पुरूष, 1 करोड 78 लाख 64 हजार 900 महिला और 335 अन्य मतदाताओं ने मतदान किया है। प्रदेश में सबसे अधिक मतदान छिंदवाडा जिलें में 83.92 प्रतिशत और सबसे कम भिण्ड जिले में 61.49 प्रतिशत मतदान हुआ।

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव-2018 के मतदान की जिलेवार और विधानसभावार सूची ceomadhyapradesh.nic.in बेवसाइट पर उपलब्ध है

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के मौहरी मतदान केन्द्र पर 1 दिसम्बर को पुनर्मतदान

भोपाल : शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रं. 87- अनूपपुर (अजजा) के मतदान केन्द्र क्रमांक 180 मौहरी में 1 दिसम्बर को पुनर्मतदान के निर्देश दिये है। पीठासीन अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से ईव्हीएम का संचालन किये जाने के कारण 56 मतदाताओं के मत ईव्हीएम में दर्ज नहीं हो पाये थे ।

मतदान केन्द्र क्रमांक-180 मौहरी में 1 दिसम्बर को प्रात: 8 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान कराया जायेगा। इसकी सूचना समस्त अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों को दी गई है। मतदान केन्द्र के क्षेत्र में डोंडी पिटवा कर इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

पुनर्मतदान संबंधी समस्त व्यवस्थायें जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जा रही है।

===

विधानसभा आम चुनाव -2018

चुनाव आयोग के निर्देशों के पालन में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश

भोपाल : शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि सोशल मीडिया पर समाचार दिखाया गया था कि 27नवंबर, 2018को विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर रात्रि को 11:00बजे, कुछ चुनाव अधिकारी शुजालपुर में राज महल होटल में ईवीएम / वीवीपीएटी के साथ ठहरे हुये है। यह भी आरोप लगाया गया था कि होटल एक राजनीतिक दल से संबंधित है और ईवीएम / वीवीपीएटी की सुरक्षा से समझौता किया गया। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया था कि टीम के अधिकारी नशे में हैं।

समाचार प्राप्त होने के आधे घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी / कलेक्टर, शाजापुर ने तुरन्त कार्यवाही की तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और थाना प्रभारी तुरन्त रात में ही होटल पहुंचे। होटल पहुँचने पर यह पाया गया कि एक सेक्टर अधिकारी, एक मेडिकल स्टाफ, एक रिजर्व माइक्रो ऑब्जर्वर और एक सुरक्षा अधिकारी उसी समय होटल में आकर रूके थे। चुनाव आयोग के निर्देशों के विरूद्ध वे मशीनों को गलत तरीके से होटल ले गये थे। तुरन्त ही सेक्टर ऑफिसर और अन्य तीन अधिकारियों को रात्रि में ही बदल दिया गया। उसके बाद उन ईवीएम /वीवीपीएटी मशीनों की इंजीनियरों द्वारा रात्रि में ही जांच की गई और यह पाया गया कि मशीनों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। और उनकी सील और टैग सही सलामत थे। इन रिजर्व मशीनों को मतदान दिवस पर उपयोग में भी नहीं लिया गया। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नशे में नहीं पाये गये। श्री सोहन लाल बजाज, सेक्टर ऑफिसर और श्री रईस मंसूरी, कंपाउंडर को 28नवंबर, 2018को ही

निलंबित कर दिया गया। चुनाव आयोग ने पूर्व में ही सभी चारों अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिये है, उक्त कार्यवाही तीन माह के अंदर पूर्ण किया जाना है।

==

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन

जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

www mpinfo.org | dprmp.org | mpnewsarch.org

Follow us: /jansampark.madhyapradesh @jansamparkMP jansamparkMP